-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 09.02.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **मिशन शक्ति अभियान के तहत चिन्हित अभियोगों में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2019 में थाना बबेरू क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 44 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2019 में थाना बबेरू क्षेत्र अन्तर्गत एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले 02 अभियुक्तों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 44 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 18.03.2019 को थाना बबेरू क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम रयान के रहने वाले 02 अभियुक्त सुकदेव व हीरालाल द्वारा एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना बबेरू पर धारा 376(डी)/323/506 भादवि, 6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बबेरू श्री कुलदीप सिंह द्वारा सम्पादित की गयी थी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 11.02.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री शिवपूजन सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी गौरव दिवाकर व आरक्षी जितेन्द्र कुमार तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के अथक प्रयासों से दोनों अभियुक्तों को मा0 न्यायालय बांदा द्वारा 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 22-22 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. सुकदेव पुत्र जीवनलाल निवासी रयान थाना बबेरू जनपद बांदा।
2. हीरालाल पुत्र मोतीलाल निवासी रयान थाना बबेरू जनपद बांदा।